COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

137

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर म0प्र0

निगरानी I/निगरानी/छतरपुर/भू-रा/2017/2396 सन्

मगना तनय श्री घनश्याम बुनकर आयु 52 वर्ष
निवासी ऐरोरा तहसील बिजावर जिला छतरपुर म0प्र0 ....निगरानीकर्ता

बनाम

01 . राकेश पिता हन्नू बुनकर आयु 22 वर्ष
निवासी मंगलपुरवा तहसील बिजावर जिला छतपुर म0प्र0

02. नूनाबाई पुत्री हन्नू बुनकर आयु 24 वर्ष
निवासी अनतोरा तहसील बड़ागांव जिला टीकमगढ

03. देवका पत्नी श्री हन्नू आयु 44 वर्ष
निवासी ग्राम बरमा तहसील बड़ामलेहरा जिला छतरपुर म0प्र0

.............उत्तरवादीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 अधीनस्थ अनुविभागीय अधिकारी बिजावर जिला छतरपुर म0प्र0 अपील कमांक 206/अपील/2015–16 आदेश दिनांक 06.06.2017

महोदय,

आवेदक निगरानीकर्ता सादर निम्नलिखित निगरानी पेश करता है–

प्रकरण के तथ्य

01. यह कि भूमि खसरा नं0 11, 101/1, 177, 237 किता 4 रकवा एकत्र 1.922हे0 स्थित ग्राम ऐरारा तहसील बिजावर जिला छतरपुर म0प्र0 की भूमि है जो निगरानीकर्ता के पिता घन श्याम के भूमि स्वामी स्वत्व में राजस्व अभिलेख में दर्ज थी।

02. यह कि घनश्याम बुनकर की कुल दो सन्ताने थी निगरानीकर्ता एंव मृतक द्वारिका बुनकर थे तथा घनश्याम की पत्नी श्रीमती देवरान बाली थी वर्तमान में देवरान वाली की मृत्यु की मृत्यु हो गई है मात्र मंगना अपीलार्थी ही शेष है।

03. यह कि द्वारिका के जीवनकाल में ही उत्तरवादी कं0 3 समाजिक रीति रिवाज के अनुसार द्वारिका से छोड छुट्टी कर आज से करीब 27–28 वर्ष पूर्व ग्राम बरमा निवासी हन्नू बुनकर के पास पत्नी के रूप में चली गयी थी तथा तभी से बरमा में ही निवास करती है आवेदक का भाई क्षय रोग से पीड़ित था इसी कारण देवका उसके साथ नही रहना चाहती थी। निगरानीकर्ता की जाति में छोड छुट्टी कर दूसरा पति रखने की प्रथा प्रचलित है।

04. यह कि क्षय रोग होने के कारण तथा उचित इलाज न होने के कारण द्वारिका की मृत्यु अल्यायु मे करीब 26–27 वर्ष पूर्व देवका के जाने के 2 माह बाद हो गयी थी तब देवका

क्रमशः//2//

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/2396 मगना विरूद्ध राकेश

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
07-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री चन्द्रेश श्रीवास्तव उपस्थित । आवेदक के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी बिजावर के प्रकरण क्रमांक 206/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 06-06-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 26-07-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 7/1/19
सदस्य